(d) if so, the reasons thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF STEEL AND MINES (SHRI RAMESH BAIS): : (a) and (b) The National Joint Committee for Steel Industry (NJCS) in its meeting held on 19-20 June, 1998, Pending finalisation of wage settlement, decided to pay adhoc adjustable Advance ranging from Rs. 4050/- to Rs. 9450/- on different pay ranges (Basic + Fixed Dearness Allowance of Rs. 31.50 as on 31.12.1996) to all non-executive employees of all constitutent members of NJCS except IISCO who were on the rolls as on 31.12.1996 and are on rolls as on 24.6.1998.

(c) Yes, Sir.

(d) the Indian Iron and Steel Company Limited (IISCO) is a sick company under the Sick Industrial Companies Act (Special Provisions), 1985 and has been before the Board of Industrial Finance and Reconstruction (BIFR) since June, 1994).

त्रिपुरा और मध्य प्रदेश में खनिज भंडार

3637. **श्री दिलीप सिंह जूदेव:** क्या इस्पात तथा खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) त्रिपुरा और मध्य प्रदेश में कौन-कौन से खनिज विपुल मात्रा में पाये जाते हैं;

(ख) क्या सरकार ने इस राज्यों में खनिजों के भंडारों का सही-सही पता लगाने के लिए कोई व्यापक सर्वेक्षण कराया है;

(ग) क्या सरकार ने इन विपुल खनिज भंडारों को ध्यान में रखते हुए संयंत्रों की स्थापना करने का निर्णय लिया है;

(घ) क्या सरकार इस उद्देश्य के लिए निजी क्षेत्रों को भी आमंत्रित करने का विचार रखती है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

इस्पात तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस): (क) और (ख) त्रिपुरा और मध्य प्रदेश के राज्यों में ईंधन और परमाणु खनिजों को छोड़कर विपुल मात्रा में पाये गये महत्वपूर्ण खनिज भंडारों के बारे में विवरण नीचे दिया गया है:—

खनिज	भंडार
त्रिपुरा	
फायरक्ले	296,000 टन
क्वार्टज/सिलिका सैंड	201,000 टन
मध्य प्रदेश	
बाक्साइट	123 एम०टी०
तांबा अयस्क	177,438 टी०टी०
तांबा धातु	1,982 टी०टी०
हीरा	976 कैरेट
डोलोमाइट	1,765,956 टी०टी०
फायरक्ले	105,941 टी०टी०
फ्लोराइट	247 टी०टी०
लाइमस्टोन	8,628,605, टी०टी०
मैंग्नीज अयस्क	23,644 टी०टी०
फॉस्फोराइट	टी०टी०= हजार टन 35,987 टी०टी० एम०टी०=मिलियन टन

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 3 की उपधारा (1) में यथा-परिभाषित कोई भी कंपनी या भारतीय नागरिक, खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 के प्रावधानों तथा उनके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार पट्टा प्राप्त करने के पश्चात खनिज भंडारों का विदोहन करने के लिए स्वतंत्र है।

Annual Outlay for Various Schemes for BALCO

3638. SHRI DILIP SINGH JUDEV: Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state:

(a) whether an estimated and annual outlay was approved for various scheme for BALCO during 1994-95, 1995-96 1996-97 and 1997-98, year-wise;

(b) if so, how much of the outlay was utilised in that Institutions with details thereof and results achieved therefrom;

(c) what was the approved outlay for various schemes for BALCO for said years (1997-98, 1998-99); and